न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—215/2017/223 (2017/00215)

1. श्रीमती धापू पुत्री गैना,
2. श्रीमती शांति पुत्री गैना,
   जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती कमला पुत्री गैना पत्नि मिश्री (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— मिश्री पति श्रीमती कमला,
   3/2— बीरम पुत्र मिश्री,
   3/3— शैतान पुत्र मिश्री,
   3/4— श्रीमती माया पुत्री मिश्री,
   समस्त जाति रावत, निवासी रतनपुरा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती झमकू पुत्री गैना पत्नि बाबूसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— महेन्द्र पुत्र बाबूसिंह,
   4/2— भैरू पुत्र बाबूसिंह,
   4/3— जगदीश पुत्र बाबूसिंह,
   4/4— श्रीमती लक्ष्मी पुत्री बाबूसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम भोमाजी का थान, मेडिया, ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पांचू पुत्र गैना,
2. केसा पुत्र गैना,
3. घीसा पुत्र गैना,
4. श्रीमती मूमी पत्नि गैना,
5. श्रीमती राधा पुत्री गैना,
6. श्रीमती बदामी पुत्री गैना,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 2.4.1996 अंतर्गत वाद संख्या 86/1995.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सूरजसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.4.1996 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 3 व 4/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद पत्र तहत पेश कर निवेदन किया कि खातेदार गैना के दो पत्निया थी, पहली पत्नि श्रीमती मूमी वादिया थी जिसके एक पुत्र घीसा है जो वादी संख्या 1 है । दूसरी पत्नि श्रीमती रतनी प्रतिवादी संख्या 3 है जिसके जिसके दो पुत्र पांचू व केसा है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है । वादपत्र में सजरा पेश कर निवेदन किया कि पूर्व खातेदार गैना का आज से कुछ वर्ष पूर्व सन् 1975 के आप–पास स्वर्गवास हो गया है तथा आज से लगभी 35 वर्ष पूर्व उक्त आराजियात का दोनों पत्नियों के मध्य आधा–आधा हिस्सा कर मौके पर बाहमी बंटवारा वादपत्र के पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात का कर दिया था। इस बंटवारे के अनुार गेना ने उक्त आराजियात के खसरा नंबर 1274, 1272, 1237, 1411 अपनी पहली पत्नि श्रीमती मूमी को दी तथा शेष आधे हिस्से की आराजियात श्रीमती रतनी को दे दी थी । बरवक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नंबर 1274, 1272, 1237, 1411 की आराजियात रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर वादीगण का स्वतंत्र रूप से कब्जा काश्त आज दिवस चला आ रहा है । गैना की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात का फौती नामांतकरण दिनांक 9.11.1977 को खोला गया जो गलत तथा विधि विरूद्ध था । विधिनुसार दाखिल खारिज गैना की प्रथम पत्नि श्रीमती मूमी व द्वितीय पत्नि श्रीमती रतनी के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा के अनुसार होना चाहिये था किनतु गलत तरीके से उक्त आराजियात समस्त पक्षकारों के नाम नामांतरित कर दी गई । उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पक्षकारों के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा होने के साथ खसरा नंबर 1274, 1272, 1237, 1411 पर वादीगण का पूर्ण स्वामित्व है । चूंकि उक्त आराजियात जो कि वादीगण को हिस्से में मिली थी उस पर ऋण इत्यादि लेने में कठिनाई हो रही है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में गलत नामांतकरण होने से वर्तमान में शामिल खाता है । इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अतः न्यायहित में खसरा नंबर 1274, 1272, 1237, 1411 का राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम पृथक अंकन किया जाने के आदेश प्रदान करावे तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.4.1996 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 व 4 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । खसरा नंबर 1331 व 1332 श्रीमती रतनी की क्रयशुदा तन्हा खातेदारी की भूमि होकर धारा 14 उत्तराधिकारी अधि0 के अनुसार निजी सम्पति है । इनके अतिरिक्त शेष वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान के पिता गैना पुत्र कानसिंह की खातेदारी की भूमि है जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रत्येक अपीलांट का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है

लेकिन गैना के स्वर्गवास के बाद गेना की पुत्रियों को पक्षकार बनाये बिना रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वाद संख्या 86/95 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 तथा श्रीमती रतनी को प्रतिवादीगण मुर्तिब करते हुए प्रस्तुत कर आपसी दुर्भिसंधि कारित कर गैर कानूनी रूप से राजीनामे के आधार पर दिनांक 2.4.1996 को डिक्री जारी करवा ली है जो अपीलांटस के हक, अधिकारा एवं स्वत्वों पर कतई बातिल व बैअसर होकर शून्य प्रभावी है । क्योंकि विवादित भूमि में सहदायको की संख्या के अनुपात में प्रत्ये अपीलांट का हिस्सा निहित है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना वादपत्र डिक्री करवा लिया गया जो प्रथम दृष्टया शून्य होकर डिक्री दिनांक 2.4.1996 एवं इसके आधार पर हुए त्रुटिपूर्ण अमल दरामद की आड़ में पारित पश्चात्वर्ती आज्ञाप्ति दिनांक 17.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 144/2014 भी अवैधानिक होकर काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि गैना का स्वर्गवास होने के पश्चात् यदि गैना की विरासत मात्र पत्नियों एवं पुत्र संतानों के नाम तस्दीक की गई है तो ऐसी त्रुटिपूर्ण विरासत के आधार पर विवादित भूमि में निहित अपीलांटस के हिस्से के स्वत्व न तो समाप्त हुए है और न ही अपीलांटस के स्वत्व रेस्पो0 में निहित है क्योंकि अपीलांटस द्वारा अपने हिस्सो के स्वत्व रेस्पो0 के हक में किसी भी दस्तावेज से हस्तातंरित नहीं किये गये है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर वाद संख्या 86/95 में अंकित त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बावजूद न तो तनकियात कायम की गई एवं न ही किसी पक्ष की साक्ष्य ग्रहण की गई एवं कैम्प कोर्ट ग्राम ब्यावर खास में वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13, 18 एवं 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । श्रीमती धापू पुत्री गैना द्वारा वाद संख्या 144/2014 में दिनांक 12.8.2015 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णित किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि निर्णय से पूर्व विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक था । बहस में आगे कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 817 जिसके नये खसरा नंबर 1331, 1332 के खातेदार मदन व उम्मेद पुत्रान जवरीलाल भण्डारी थे जिनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती रतनी पत्नि गैना को विक्रय किया गया था । उक्त आराजियात श्रीमती रतनी द्वारा अपने स्त्रीधन से क्रय की गइ्र थी जो उसकी व्यक्तिगत एवं निजी सम्पति थी जिसके हाफ व्ल्उ के बजाय फल ब्लड को प्रफरेन्स के आधार पर श्रीमती रतनी द्वारा उत्पन्न वारिसान को ही स्वत्व निहित होते है लेकिन उक्त खसरा नंबरान को गलत रूप से प्रतिवादीगण के हिस्से में रखा जाना अंकित किया गया है जबकि इनके अतिरिक्त शेष आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना चाहिये था और वह भी बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त अनुसार बंटवारा आज्ञाप्ति जारी की जानी चाहिये थी लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअदांज कर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 को गैर कानूनी एवं अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित भूमि पर वादीगण कभी भी काबिज नहीं रहे तथ बाहमी बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नंबर 1411 प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 को प्राप्त हुआ है तत्समय से आज दिनांक प्रतिवादीगण तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण द्वारा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे डिक्री दिनाक 2.4.1996 की इजराय करवा कर खसरा

नबर 1411 पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 व 4 काबिज हुए हो जिससे बिना कब्जे के वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति कतई जारी नहीं की जा सकती थी । बहस में आगे कथन किया कि गेना के शेष वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । गैना के वादी संख्या 2 से उत्पन्न दो लड़कियां राधा व बदामी जीवित है एवं धापू व शांति जो द्वितीय पत्नि श्रीमती रतनी से उत्पन्न हुई है तथा कमला व झमकू की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान जीवित है जिनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में सभी सहदायिकों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बावजूद न तो तनकियात कायम की गई एवं न ही किसी पक्ष की साक्ष्य ग्रहण की गई एवं कैम्प कोर्ट ग्राम ब्यावर खास में वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 13, 18 एवं 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । श्रीमती धापू पुत्री गैना द्वारा वाद संख्या 144/2014 में दिनांक 12.8.2015 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णित किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि निर्णय से पूर्व विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक था । बहस में आगे कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 817 जिसके नये खसरा नंबर 1331, 1332 के खातेदार मदन व उम्मेद पुत्रान जवरीलाल भण्डारी थे जिनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती रतनी पत्नि गैना को विक्रय किया गया था । उक्त आराजियात श्रीमती रतनी द्वारा अपने स्त्रीधन से क्रय की गइ्र थी जो उसकी व्यक्तिगत एवं निजी सम्पति थी जिसके हाफ व्ल्उ के बजाय फल ब्लड को प्रफरेन्स के आधार पर श्रीमती रतनी द्वारा उत्पन्न वारिसान को ही स्वत्व निहित होते है लेकिन उक्त खसरा नंबरान को गलत रूप से प्रतिवादीगण के हिस्से में रखा जाना अंकित किया गया है जबकि इनके अतिरिक्त शेष आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना चाहिये था और वह भी बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त अनुसार बंटवारा आज्ञाप्ति जारी की जानी चाहिये थी लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअदांज कर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 को गैर कानूनी एवं अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित भूमि पर वादीगण कभी भी काबिज नहीं रहे तथ बाहमी बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नंबर 1411 प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 को प्राप्त हुआ है तत्समय से आज दिनांक प्रतिवादीगण तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण द्वारा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे डिक्री दिनाक 2.4.1996 की इजराय करवा कर खसरा नबर 1411 पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 व 4 काबिज हुए हो जिससे बिना कब्जे के वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति कतई जारी नहीं की जा सकती थी । बहस में आगे कथन किया कि गेना के शेष वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । गैना के वादी संख्या 2 से उत्पन्न दो लड़कियां राधा व बदामी जीवित है एवं धापू व शांति जो द्वितीय पत्नि श्रीमती रतनी से उत्पन्न हुई है तथा कमला व झमकू की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान जीवित है जिनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में सभी सहदायिकों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में

आर0आर0डी0 1996 पेज 381, 79, आर0आर0डी0 1999 पेज 183, आर0आर0डी0 1995 पेज 113, आर0आर0टी0 2018 पार्ट 2 पेज 1310 सुप्रीमकोर्ट एवं 796, आर0बी0जे0 2019 पेज 486 एवं आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 29 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् वास्ते अपील प्रस्तुति की इजाजत प्रदान करने पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण जो कि गैना की जाईन्दा वारिसान है को पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत कर दिया गया एवं प्रार्थिया धापू द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई । विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के साथ बराबर के स्वत्व निहित है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के हक व स्वत्व प्रभावित हुए है । अपीलांटस व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुति की इजाजत प्रदान की जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 2.4.1996 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण जो कि गैना की जाईन्दा वारिसान है को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया थ्झा एवं प्रार्थीया श्रीमती धापू द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रार्थीया संख्या 1 धापू दिनांक 23.7.2017 को अपने पीहर आई तब उसके सगे भाई पांचू व केसा द्वारा बताया गया कि घीसा व मूमी द्वारा जो दावा पेश किया गया थ्झा वह उनके हक में डिक्री कर दिया है तथा वकील साहब से नकले प्राप्त कर ली है जिन्हें लेकर न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा अपील करने के निर्देश दिये जाने पर आवश्यक दस्तावेजात एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री वर्ष 1996 का है । उत्तराधिकार अधि0 में वर्ष 2005 में संशोधन किया जाकर धारा 6 (5) में संशोधन किया गया है व उक्त संशोधन के अनुसार बंटवारा की डिक्री पारित हो रखी है तो वे प्रभावित नहीं होगी । उक्त अधि0 में संशोधन के बाद लड़कियों को अधिकार दिये है । लेकिन सहदायिकी सम्पति का वर्ष 2005 से पूर्व जरिये निर्णय व डिक्री के बंटवारा हो चुका है तो वो प्रभावी नहीं होगा । अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील बार्ड बाई लॉ है इसलिये प्रथमदृष्टया ही खारिज किया जाना न्यायोचित होगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की अपील खारिज की जावे ।

10. विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि ग्राम शम्भूपुरा तह0 ब्यावर के खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं अन्य कृषि भूमियां खसरा नंबर 1237, 1272, 1274 वादीगण/रेस्पो0 को न्यायालय श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 86/1995 अजनाम श्री घीसाहि वगै0 बनाम पांचू सिंह व अन्य में पारित बंटवारा डिक्री दिनांक 2.4.1996 के अनुसार बतौर खातेदारी प्राप्त हुई थी । शेष खसरा नंबर 1297, 1300, 1303, 1314, 1347, 1430, 1331 व 1332 की भूमि प्रतिवादी वउनकी माता श्रीमती

रतनी के हिस्से में आई । उक्त डिक्री के आधार पर नामांतकरण संख्या 529 दिनांक 20.7.1996 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में लाल स्याही से अंकन होकर मौके पर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण को करवा दिया गया था तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई हक व अधिकार नहीं है इसीलिये अपीलांटस को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

11. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत करने की इजाजत एवं धारा 5 मियाद अधि0 एवं धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

12. प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत करने का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र में अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन भूमि में अपना हित होना प्रकट किया है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

14. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील मीमों में अंकित कथनानुसार गैना पुत्र कानसिंह की दो पत्नियां मूमी व श्रीमती रतनी थी । गैना व श्रीमती मूमी से घीसा, राधा व बदामी हुए है तथा गैना व श्रीमती रतनी से पांचू, केसा, कमला, धापू, झमकू व शांति हुए है । अपीलांटस का कथन है कि ग्राम शम्भूपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 1411, 1237, 1272, 1274, 1411, 1297, 1300, 1347, 1430, 1303, 1314, एवं 1237, 1272 व 1274 अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की पुश्तैनी आराजियात होना कथन किया है । यह भी कथन किया गया कि साबिक खसरा नंबर 817 के वर्तमान खसरा नंबर 1331 एवं 1332 की भूमियां श्रीमती रतनी द्वारा 2/12 हिस्सा दिनांक 17.12.1977 को क्रय की गई है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त सभी भूमियों का राजीनामे के अनुसार बंटवारा की डिक्री गलत तौर से पारित की गई है । जबकि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1331 व 1332 में केवल मात्र श्रीमती रतनी के वारिसान का ही हिस्सा है एवं शेष भूमियों में गैना के सभी वारिसान का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को अनदेखा कर गलत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे अपास्त किया जावे । पक्षकारान की बहस एवं राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पुश्तैनी भूमियां है तथा हिन्दू संयुक्त परिवार की भूमियां है जिसमें को–पार्सनर सहिस्सेदार है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में घीसा पुत्र गैना व श्रीमती मूमी पत्नि गेना के द्वारा पांचू पुत्र गैना, केसा पुत्र गैना एवं श्रीमती रतनी पत्नि गैना एवं तहसीलदार, ब्यावर के विरूद्ध वाद बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण में श्रीमती रतनी पत्नि गैना जिसके पक्ष में अपीलांटस द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र खसरा नंबर 1331 व 1332 का होने का कथन किया है वे भी पक्षकार रहे है । इन सभी पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ एवं अधी0न्याया0 द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया एवं राजीनामे के अनुसार खसरा नंबर 1274 रकबा 0–11–10, 1272 रकबा 1–10–0, खसरा नंबर 1237 रकबा 1–14–00, खसरा नंबर 1411

रकबा 1–8–0 कुल किता 4 रकबा 5–3–10 बीघा भूमि घीसा पुत्र गैना व श्रीमती मूमी पत्नि गैना के हिस्से में रखी जाकर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा खसरा नंबर 1297 रकबा 0–15–0, खसरा नंबर 1300 रकबा 0–10–0, खसरा नंबर 1303 रकबा 0–10–0, खसरा नंबर 1314 रकबा 1–8–0, खसरा नंबर 1347 रकबा 0–13–0 एवं खसरा नंबर 1430 रकबा 1–10–0, खसरा नंबर 1331 रकबा 0–10–10 एवं खसरा नंबर 1332 रकबा 0–10–15 कुल किता 8 कुल रकबा 5–17–15 बीघा भूमि प्रतिवादीगण पांचू, केसा पुत्रगण गैना एवं श्रीमती रतनी पत्नि गैना के हिस्से में रखकर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है । अपीलांटस द्वारा यह कथन किया गया है कि श्रीमती रतनी के स्त्रीधन से भूमि क्रय की गई थी जबकि इस संबंध में पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं की है कि खसरा नंबर 1331 व 1332 का हिस्सा श्रीमती रतनी द्वारा स्त्रीधन से क्रय किया गया हो । यह स्वीकृत तथ्य है कि गैना की दोनो पत्नियां व पुत्र व पुत्रियां हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है । अपीलाधीन भूमियां खसरा नंबर 1331 व 1332 को छोड़ पुश्तैनी भूमिया है एवं हिन्दू संयुक्त परिवार होने के कारण खसरा नंबर 1331 व 1332 के हिस्से के बैनामे का पंजीयन श्रीमती रतनी के पक्ष में करवाया गया है । यदि उक्त भूमियां खसरा नंबर 1331 व 1332 श्रीमती रतनी की स्वंय की आय से क्रय होकर निजी भूमि होती तो अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा पेश नहीं करती तथा राजीनामे के संबंध में उज्र पेश करती परन्तु सभी पक्षकारान द्वारा राजी–खुशी राजीनामा अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया गया था जिसे बाद तस्दीक स्वीकार किया जाकर बंटवारा कर दिया गया । संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 जिसमे वर्ष 2005 में संशोधन किया गया जिसके स्पष्टीगण खण्ड में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि वर्ष 2004 से पूर्व हुए पंजीकृत बंटवारे अथवा न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे पर संशोधन प्रभावित नहीं करेगा यानि पूर्व में हुए विधिक बंटवारा को उक्त संशोधित प्रावधान प्रभावित नहीं करता है । उक्त कानूनी प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस को आक्षेपित अधी0न्याया0 द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को चुनौती दिये जाने का कोई अधिकार नही है । आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अधी0न्याया0 के समक्ष रहे पक्षकार द्वारा किसी अन्य आधारों पर अपने जीवनकाल में चुनौती नही दी गई है कि उनके साथ छल–कपट कर राजीनामा प्रस्तुत करवा लिया हो और राजीनामे के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा गलत डिक्री पारित की गई हो । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है ।

15. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.4.1996 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर